संख्या–7573/सम–73–2007–सम/ई0डी0(28)/2004

प्रेषक,

श्री अनीस अंसारी,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परियोजना समन्वयक,
कृषि विविधीकरण परियोजना,
गोमतीनगर, लखनऊ।

समन्वय अनुभाग लखनऊ : दिनांक :28 नवम्बर, 2007

विषयः– उ0प्र0 कृषि विविधीकरण परियोजना(डास्प)के द्वितीय चरण का कियान्वयन ।

Mgr (P)
29/11/07

महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 कृषि विविधीकरण परियोजना (डास्प) द्वितीय चरण को कृषक हित में प्रदेश के अपने संसाधनों से वर्ष (2007–2012) तक कियान्वयन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष (2007–2008) में उपलब्ध रू0–100.00 करोड़ की बजटीय व्यवस्था का उपभोग करते हुए परियोजना के प्रथम वर्ष 2007 का कियान्वयन तत्कालिक प्रभाव से प्रारम्भ किया जाता है। कालान्तर में यदि अपरिहार्य परिस्थितिवश विश्व बैंक द्वारा परियोजना की स्वीकृति नहीं दी जाती है, तब भी कृषक हित में बनाई गई इस व्यापक परियोजना को राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से क्रियान्वित् कर लिये जाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना द्वारा 38 जनपदों में "आत्मा" भी संचालित कराई जा रही है। परियोजना में वर्तमान में नितान्त आवश्यक कर्मियों (कोर स्टाफ – पदों की सूची संलग्न) की उपलब्धता के दृष्टिगत न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त कर्मियों, यथासम्भव तकनीकी कर्मियों को लेते हुए परियोजना का कियान्वयन प्रारम्भ किया जाय। उक्त कर्मियों की आवश्यकता का निर्धारण परियोजना द्वारा वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।

2– कृषि विविधीकरण परियोजना द्वितीय चरण की स्वीकृति बिना मण्डी अधिनियम संशोधन के ही विश्व बैंक से प्राप्त करने हेतु उच्च स्तर से प्रयास किये जायें। तद्नुसार स्वीकृति प्राप्त होने की दशा में परियेाजना कियान्वयन एवं व्यय विश्व बैंक की मार्गदर्शिका (गाइडलाइन्स) के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा। अतः

परियोजना का स्वरूप एवं कियान्वयन प्रकियाओं में एकरूपता व निरन्तरता बनाये रखने की दृष्टि से निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में राज्य सरकार के वित्तीय स्रोतों से प्रारम्भ होने वाली परियोजना का कियान्वयन एवं व्यय मूल परियेाजना डिजाइन के अनुरूप विश्व बैंक मार्गदर्शिका (गाईडलाइन्स) के अन्तर्गत ही किया जाय। यही पद्धतियाँ कृषि विविधीकरण परियोजना के प्रथम चरण में अपनाई गई थीं, एवं तद्नुसार वही पद्धतियाँ कृषि विविधीकरण परियोजना के द्वितीय चरण के लिये अपनाई जाएंगी।

3— कृषि विविधीकरण परियोजना द्वितीय चरण का कार्यान्वन विश्व बैंक से प्राप्त ड्राफ्ट प्रोजेक्ट एप्रेजल डॉक्यूमेन्ट (Draft - P.A.D.) द्वारा निर्धारित स्वरूप के आधार पर किया जायेगा (प्रतिलिपि संलग्न)। परियोजना का द्वितीय चरण रूपये—869.00 करोड़ की लागत से क्रियान्वित् किया जाएगा।

4— उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—ई—1663/दस—07, दिनांक 21.11.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक—यथोक्त।

(अनीस अंसारी)
कृषि उत्पादन आयुक्त

संख्या— (1)/सम—73—2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, लेखा व हकदारी प्रथम/लेखा परीक्षा—1,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3— कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4— अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्रकोष्ठ, वाह्य सहायतित परियोजना।
5— नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
6— सचिव, वाह्य सहांयतित परियोजना अनुभाग।
7— वित्त (व्यय—नियन्त्रण)अनुभाग—1/वित्त आयोग अनुभाग—2
8— सम्बंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
9— वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
अनु सचिव

क्रमांक	प्रस्तावित पद एवं वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3
अ	परियोजना समन्वयक शिविर	
1	परियोजना समन्वयक रू0 18400-500-22400	01
2	निजी सचिव रू0 5500-175-9000	01
3	वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक रू0 4000-100-6000	01
ब	तकनीकी समन्वयक शिविर	
4.	तकनीकी समन्वयक/परामर्शी रू0-16400-450-20000	01
5.	तकनीकी सहायक रू0 8000-275-13500	01
6.	निजी सचिव रू0 5500-175-9000	01
स	वित्त एवं लेखा प्रभाग	
7	महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा) रू0 14300-400-18300	01
8.	प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा) रू0 12000-375-16500	01
9.	ऑडिटर रू0 5000-150-8000	02
10.	लेखाकार रू0 5000-150-8000	02
11.	कैशियर रू0 3200-85-4900	01
द.	प्रशासन एवं कार्मिक प्रभाग	
12.	प्रबन्धक(प्रशासन एवं कार्मिक) रू0 12000-375-16500	01
13.	कार्यालयाधीक्षक रू0 5000-150-8000	01
14.	स्टोर कीपर/केयर टेकर रू0 4000-100-6000	01
15.	स्वागती रू0 4000-100-6000	01
16.	डाक प्रेषण लिपिक रू0 4000-100-6000	01
17.	फोटोकापी आपरेटर रू0 2550-55-2660-3200	01
18.	वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ(पशुपालन दुग्ध विकास)	01

	रू0 12000-375-16500	
19.	तकनीकी विशेषज्ञ(पशुपालन दुग्ध विकास) रू0 10000-325-15200	01
20.	वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ(तकनीकी प्रसार, ऋण एवं सह. प्र.) रू0 12000-375-16500	01
21.	तकनीकी विशेषज्ञ(सहभागी प्रबन्ध) रू0 10000-325-15200	01
22.	लाईब्रेरियन रू0 5000/- संहत वेतनमान	01
23.	वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ(उद्यान) रू0 12000-375-16500	01
24.	तकनीकी विशेषज्ञ(उद्यान) रू0 10000-325-15200	01
25.	वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ(कृषि) रू0 12000-375-16500	01
26.	तकनीकी विशेषज्ञ(कृषि) रू0 10000-325-15200	01
27.	तकनीकी विशेषज्ञ(ग्रामीण अवस्थापना एवं विपणन) रू0 10000-325-15200	01
28.	वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ(मू0 एवं अनु0) रू0 12000-375-16500	01
29.	प्रबन्धक(नियोजन एवं विश्लेषण) रू0 12000-375-16500	01
30.	उप प्रबन्धक (एम0आई0एस0)/कम्प्यूटर आपरेटर रू0 5000-150-8000	02
31.	टेण्डर लिपिक रू0 4000-100-6000	01
32.	आशुलिपिक रू0 4000-100-6000	06
33.	वाहन चालक रू0 3050-75-3950-80-4590	06
34.	अनुसेवक/पत्र वाहक रू0 2550-55-2660-60-3200	09
य	जिला परियोजना समन्वयक इकाई	
35.	जिला परियोजना समन्वयक संविदा पर संहत वेतन एवं प्रतिनियुक्ति पर अपने संवर्ग का वेतन	27
36.	सहायक प्रबन्धक, सिस्टम रू0 5000 संहत वेतनमान	27
37.	पत्रवाहक रू0 3000 संहत वेतनमान	27
	योग	136